

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल-2/फा.न. 27/धार/2017

भोपाल दिनांक 30/12/17

आदेश


डॉ. बबीता नांदुलकर, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीथमपुर जिला धार में उनकी पदस्थापना के दौरान उनके द्वारा रात्रि कालीन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, ओ.पी.डी. में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने, अवैधानिक तरीके से गर्भपात कराने एवं रिश्तत लिये जाने संबंधी अनियमिताओ के कारण शासन ने उनके आदेश क्रमांक 259/3535/2016/17 मेडि-1/दिनांक 20.01.2017 द्वारा डॉ. बबीता नांदुलकर चिकित्सा अधिकारी को निलंबित किया गया एवं संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 16.03.2017 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये।

डॉ.नांदुलकर द्वारा जारी निलंबन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में यचिका क्रमांक डब्लू.पी.2455/2017 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 14.07.2017 में दिये गये निर्देशों के पालन में शासन ने आदेश क्रमांक 2161/ 2500/2017/17/ मेडि-1 दिनांक 19.09.2017 द्वारा डॉ.बबीता नांदुलकर को निलंबन से बहाल करते हुए उनकी पदस्थापना कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलीराजपुर के अधीन की गई।

डॉ. बबीता नांदुलकर को निलंबन पश्चात् जारी आरोप पत्रादि का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 19.04.2017 को प्रस्तुत किया गया जिस पर डॉ. नांदुलकर की समक्ष में सुनवाई करते हुये उन्हें दिनांक 27.09.2017 को समक्ष में सुना गया।

डॉ.नांदुलकर द्वारा प्रस्तुत उत्तर परीक्षणोंपरान्त समाधानकारक नहीं होने के परिणाम स्वरूप डॉ. बबीता नांदुलकर,तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीथमपुर वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर के विरुद्ध एतद् आदेश द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किए जाने का निर्णय लेते हुए संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये इन्दौर को जांचकर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।




(डॉ. जे.पी. खरे)  
उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

//2//

पृ.कमांक/4/शिका./सेल-2/फा.न. 20/इन्दौर /2017.2082 भोपाल दिनांक 30/12/17  
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु:-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
- 2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
- 3 कलेक्टर जिला धार/अलीराजपुर म.प्र.।
- 4 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
- 5 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर (जांच कर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयांतर्गत प्रकरण में जांच प्रतिवेदन आदेश में वर्णित समयावधि एक माह में संचालनालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) म.प्र. की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में जांच कर्ता अधिकारी को अनिवार्य रूप से सहयोग प्रदान कर प्रकरण की जांच एक माह में पूर्ण करावें।
- 7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलीराजपुर म.प्र.।
- 8 डॉ. बबीता नादुंलकर चिकित्सा अधिकारी द्वारा -मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर/धार म.प्र.।
- 9 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

10 आदेश नस्ति।

  
उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश